



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैर इरादतन हत्या के अभियोग में अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास व 6,500/-रु० के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना-सुमेरपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 87/2022 धारा- 323,304,504,506 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ भाऊ पुत्र नत्थू वर्मा नि० इमिलिया थोक कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कारावास व ₹ 6,500/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक- एडीजीसी
राजेश कुमार तिवारी



विवेचक-
उ०नि० रामबाबू
यादव



पैरोकार- थाना-सुमेरपुर
हे०का० ज्ञानेन्द्र